## झारखण्ड सरकार
## स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

### अधिसूचना

सं0 सं0–04/आ01–55/2016............/ राँची, दिनांक–............................../

श्री सुरेन्द्र पाण्डेय, तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक, साहेबगंज सम्प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी, गुमला के विरुद्ध सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के प्रावधान अन्तर्गत आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराने के लिए विभागीय संकल्प–सह–ज्ञापांक–352 दिनांक–28.01.2019 द्वारा झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2016 के नियम–17 एवं 14 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. उपर्युक्त संदर्भ में अंकनीय है कि अपीलवाद संख्या–1240/15 सच्चिदानन्द बनाम जन सूचना पदाधिकारी–सह–जिला शिक्षा पदाधिकारी, साहेबगंज के मामले में राज्य सूचना आयोग के द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में श्री सतीश चन्द्र सिंकु, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी--सह–जन सूचना पदाधिकारी, साहेबगंज के विरुद्ध दिनांक–13.10.2016 को सूचना अधिकार अधिनियम–2006 की धारा–20(2) के तहत विभागीय कार्रवाई करने का आदेश पारित किया गया था। उक्त पारित आदेश के आलोक में श्री सिंकु के विरुद्ध विभागीय संकल्प संख्या–860 दिनांक–20.12.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत यह पाया गया कि आवेदक द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय, साहेबगंज से संबंधित था। जन सूचना पदाधिकारी–सह–जिला शिक्षा पदाधिकारी, साहेबगंज के द्वारा ससमय आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय को अंतरित किया गया था। अतः आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराने के लिए श्री सिंकु जिम्मेवार नहीं है। ऐसी स्थिति में संबंधित सभी जिला शिक्षा अधीक्षक, साहेबगंज को चिन्हित कर विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के आलोक में श्री पाण्डेय के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

3. उपर्युक्त संचालित विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री पाण्डेय के विरुद्ध आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराने का आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया।

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन श्री पाण्डेय के विरुद्ध प्रपत्र–'क' में गठित आरोप अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। उक्त प्रतिवेदित जाँच प्रतिवेदन के सम्यक समीक्षोपरांत लगाये गये आरोप से श्री पाण्डेय को आरोप से मुक्त करने का निर्णय लिया जाता है।

5. उपर्युक्त निर्णय के साथ ही श्री पाण्डेय के विरुद्ध संचालित उपर्युक्त विभागीय कार्यवाही निष्पादित की जाती है।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(आदित्य कुमार आनन्द)

सरकार के संयुक्त सचिव।

कृ0पृ0उ0

विशेष सचिव कोषांग
गै० प्रे० सं० 15
दिनांक 8.1.20

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय
झारखण्ड, रांची
डायरी सं० 48
दिनांक 08.01.2020

**ज्ञापांक–**.......30........../ **राँची, दिनांक–**.......07-01-20........................../

**प्रतिलिपिः–** विभागीय नोडल पदाधिकारी ई० गजट को सरकारी गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/ विभागीय नोडल पदाधिकारी, को विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

**सरकार के संयुक्त सचिव।**